रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05052021-226843
CG-DL-E-05052021-226843

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 254] नई दिल्ली, बुधवार, मई 5, 2021/वैशाख 15, 1943
No. 254] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 5, 2021/VAISAKHA 15, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2021

(आय-कर)

सा.का.नि. 320(अ)—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 10 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (पंद्रहवां संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2021 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 के नियम 2ख के उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"(1क) 1 अप्रैल, 2021 से प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए, जहां उपनियम (1) में निर्दिष्ट किसी व्यष्टि ने अपने नियोक्ता से किसी यात्रा रियायत या सहायता के बदले किसी नकद भत्ते का लाभ लिया है तो धारा 10 के खंड (5) के दूसरे परंतुक के अधीन छूट प्राप्त रकम निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते रकम व्यष्टि के

लिए और उसके कुटुंब के सदस्य के लिए प्रति व्यक्ति छत्तीस हजार रुपए से अनधिक या विनिर्दिष्ट व्यय का एक तिहाई, इनमें से जो भी कम हो, होगी, अर्थात् :--

(i) व्यष्टि ने कैलेंडर वर्ष 2018 से प्रारंभ होकर चार कैलेंडर वर्ष के ब्लॉक के दौरान उपयोग न की गई एक यात्रा के संबंध में धारा 10 के खंड (5) के अधीन छूट के बदले धारा 10 के खंड (5) के दूसरे परंतुक के अधीन छूट का लाभ लेने के विकल्प का उपयोग किया है ;

(ii) विनिर्दिष्ट व्यय के संबंध में संदाय व्यष्टि या उसके कुटुंब के किसी सदस्य द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को किया गया है ;

(iii) विनिर्दिष्ट व्यय के संबंध में संदाय किसी बैंक पर आहरित खाता देय चैक या खाता देय बैंक ड्राफ्ट या किसी बैंक खाते के माध्यम से इलैक्ट्रानिक समाशोधन प्रणाली या ऐसे अन्य इलैक्ट्रानिक ढंग से किया जाता है, जैसा कि नियम 6कखखक के अधीन विनिर्दिष्ट किया गया है ;

(iv) व्यष्टि खंड (ii) में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से विनिर्दिष्ट व्यय के संबंध में कर बीजक अभिप्राप्त करता है ।

स्पष्टीकरण 1—इस उपनियम के प्रयोजन के लिए,--

(i) 'कर बीजक' से केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 31 के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जारी किया गया बीजक अभिप्रेत है ;

(ii) 'रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति' का वही अर्थ होगा, जो उसका केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 2 के खंड (94) में है ;

(iii) 'विनिर्दिष्ट व्यय' से किसी व्यष्टि या उसके कुटुंब के सदस्य द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान माल या सेवाओं, जो बारह प्रतिशत या उससे अधिक की कुल दर पर माल और सेवाकर (जीएसटी) विधियों के अधीन कर से प्रभार्य हैं, पर उपगत व्यय अभिप्रेत है और क्रय किया गया माल का क्रय या सेवाओं की उपाप्ति किसी जीएसटी रजिस्ट्रीकृत विक्रेताओं या सेवा प्रदाताओं से की गई है ;

(iv) 'विनिर्दिष्ट अवधि' से 12 अक्तूबर, 2020 को प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाली अवधि अभिप्रेत है ।

स्पष्टीकरण 2—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी व्यष्टि द्वारा, उसके नियोजन के निबंधनों के अनुसार प्राप्त रकम या उसको उसके और कुटुंब के सदस्य के संबंध में उसके नियोक्ता से विनिर्दिष्ट व्यय के संबंध में देय रकम व्यष्टि और उसके कुटुंब के सदस्य के लिए प्रति व्यक्ति छत्तीस हजार रुपए से अधिक है, तो इस उपनियम के अधीन छूट व्यक्ति और उसके कुटुंब के सदस्य के लिए प्रति व्यक्ति छत्तीस हजार रुपए तक या विनिर्दिष्ट व्यय के एक-तिहाई तक, इनमें से जो भी कम हो, निर्बंधित होगी ।

स्पष्टीकरण 3—यह स्पष्ट किया जाता है कि व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा कार्य ज्ञापन एफ सं. 12(2)/2020-ईII(अ), तारीख 12 अक्तूबर, 2020 और कोई पश्चातवर्ती स्पष्टीकरण, यदि कोई हों, जो इस संबंध में जारी किए गए हैं, यथावश्यक उपांतरणों सहित इस उपनियम के अधीन छूट को लागू होंगे ।

(1ख) जहां धारा 10 के खंड (5) के दूसरे परंतुक के अधीन किसी छूट का दावा किया जाता है और अनुज्ञा की जाती है, उपनियम (2) का ऐसे प्रभाव होगा मानो 'दो यात्राएं' शब्दों के स्थान पर 'एक यात्रा' शब्द रख दिए गए हों ।"।

[अधिसूचना सं. 50/2021/फा.सं. 370142/14/2021-टीपीएल]

कमलेश चंद्र वार्ष्णेय, संयुक्त सचिव (कर नीति और विधान प्रभाग)

स्पष्टीकारक ज्ञापन : यह स्पष्ट किया जाता है कि इन नियमों को भूतलक्षी प्रभाव देने से कोई व्यक्ति प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हो रहा है ।

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. सा.का.नि 318(अ) तारीख 4 मई, 2021 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th May, 2021

(INCOME-TAX)

G.S.R. 320(E).—In exercise of the powers conferred by clause (5) of section 10 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules,1962, namely:—

1. Short title and commencement.-_(1) These rules may be called the Income tax (15th Amendment), Rules, 2021.

(2) They shall be deemed to have come into force from the 1st day of April, 2021.

2. In the Income-tax Rules, 1962, in rule 2B, after sub-rule (1), the following sub-rules shall be inserted, namely:—

"(1A) For the assessment year beginning on the 1st day of April, 2021, where the individual referred to in sub-rule (1) avails any cash allowance from his employer in lieu of any travel concession or assistance, the amount exempted under the second proviso to clause (5) of section 10 shall be the amount, not exceeding thirty-six thousand rupees per person, for the individual and the member of his family, or one-third of the specified expenditure, whichever is less, subject to fulfilment of the following conditions, namely:-

(i) the individual has exercised an option to avail exemption under the second proviso of clause (5) of section 10, in lieu of the exemption under clause (5) of section 10 in respect of one unutilised journey during the block of four calendar years commencing from the calendar year 2018;

(ii) the payment in respect of the specified expenditure is made by the individual or any member of his family to a registered person during the specified period;

(iii) the payment in respect of the specified expenditure is made by an account payee cheque drawn on a bank or account payee bank draft, or use of electronic clearing system through a bank account or through such other electronic mode as prescribed under rule 6ABBA; and

(iv) the individual obtains a tax invoice in respect of specified expenditure from the registered person referred in clause (ii).

Explanation 1- For the purpose of this sub-rule,-

(i) 'tax invoice' means an invoice issued by the registered person under section 31 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 12 of 2017);

(ii) 'registered person' shall have the meaning assigned to it in clause (94) of section 2 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 12 of 2017);

(iii) 'specified expenditure' means expenditure incurred by an individual or a member of his family during specified period on goods or services, which are liable to tax at an aggregate rate of twelve per cent. or above under various Goods and Services Tax (GST) laws and goods are purchased or services procured from GST registered vendors or service providers;

(iv) 'specified period' means the period commencing from the 12th day of October, 2020 and ending on the 31stday of March, 2021.

Explanation 2 For the removal of doubt, it is hereby clarified that if the amount received by or due to an individual, as per the terms of his employment, from his employer in relation to himself and member of his family, in connection with the specified expenditure is in excess of the thirty six thousand rupees per person, for the individual and the member of his family, the exemption under this sub-rule would be restricted to thirty-six thousand rupees per person, for the individual and the member of his family, or one-third of the specified expenditure, whichever is less.

Explanation 3 It is hereby clarified that the clarification issued by the Department of Expenditure, Ministry of Finance, vide OM F. No 12(2)/2020-EII (A) Dated 12th October, 2020 and any subsequent clarifications, if any, issued in this regard shall apply mutatis mutandis to the exemption under this sub-rule.

(1B) Where an exemption under the second proviso to clause (5) of section 10 is claimed and allowed, sub-rule (2) shall have effect as if for the words 'two journeys' , the words 'one journey' has been substituted.".

[Notification No. 50/2021/F. No.370142/14/2021-TPL]

KAMLESH CHANDRA VARSHNEY, Jt. Secy. (Tax Policy and Legislation)

Explanatory Memorandum: It is hereby certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to these rules.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and last amended *vide* notification number G.S.R. 318(E) dated 4th May, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2021.05.05 18:03:55 +05'30'